08/05/22

सीपीआई (एम) का वक्तव्य

पूजा सिंघल पर भष्टाचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाय - माकपा
माकपा ने पूजा सिंघल के खिलाफ वर्ष 2007 मे ही भष्टाचार का प्रमाणित आरोप लगाया था

खान सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर पर ईडी द्वारा मारे गए छापे मे नगद 19.31 करोड़ रू और 150 रु की संपत्ति के दस्तावेजों की बरामदगी इस बात का प्रमाण है कि झारखंड मे भष्ट नेताओं और भष्ट अधिकारियों का गठजोड़ राज्य की धन संपदा को लूटने के लिए सूनियोजित तरीके से काम करता है.

माकपा ने पूजा सिंघल जो 5 अगस्त 2006 से से 17 जुलाई 2007 तक पाकुड़ जिले की उपायुक्त थी के खिलाफ नरेगा मे हुए भष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायी थी . इस भष्टाचार के खिलाफ पाकुड़ शहर मे एक विरोध सभा आयोजित की गई थी. उपायुक्त पूजा सिंघल के निर्देश पर तत्कालीन एसडीओ पाकुड़ ने सभा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. जिला प्रशासन के इस अलोकतांत्रिक आदेश के खिलाफ पार्टी द्वारा हाई कोर्ट मे रिट दाखिल किया गया और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विरोध सभा की गई और पूजा सिंघल के भष्टाचार को उजागर किया गया था.
सीपीएम का राज्य सचिवमंडल मांग करता है कि पूजा सिंघल के कार्यकाल 2002 से 2022 तक की गतिविधियों की पुरी जांच की जाय और उन्हें सेवा से तत्काल निलंबित कर उनपर प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक धाराओं मे प्राथमिकी दर्ज किया जाए.क्योकि ईडी के छापेमारी जारी है जिसमें और भी काली कमाई के दस्तावेज बरामद हो रहे हैं. इतना ही नहीं रांची का लूटेरा पल्स अस्पताल जिसका मालिकाना उनके पति के नाम से है. उनके सीए द्वारा भी कलतक बरामद किए गये काले धन को अपना बताया जा रहा था गिरफ्तारी के बाद वह इससे इंकार कर रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोमेंटम झारखंड के नाम पर जो काल्पनिक हाथी उड़ाया था उसकी मुख्य शिल्पकार श्रीमती पूजा सिंघल ही थीं इसलिए भष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक आधार भाजपा को नहीं है.

प्रकाश विप्लव

राज्य सचिव

[